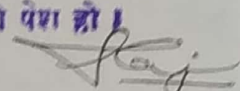
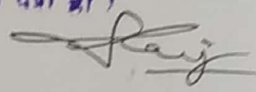
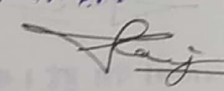


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज जज/श्री जे. वेंकटेश्वर प्रसाद नृसिंही तहसील 34/9/19
30-8-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फौरन उप./अनुपस्थित। पोंडासीन अधिकार तोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोर्टिस है है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है दिनांक 17-9-19 को पेश हो। 
17-9-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फौरन उप./अनुपस्थित। पोंडासीन अधिकार तोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोर्टिस है है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है दिनांक 16-10-19 को पेश हो। 
16-10-19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फौरन उप./अनुपस्थित। पोंडासीन अधिकार तोरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मोर्टिस है है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही है दिनांक 31-10-19 को पेश हो। 
31.10.2019	पत्रावली आज पेश हुई।ील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की तामील होकर डी हैवावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में अप्रार्थीगण विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ला जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पाया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा कास्ट कृषि भूमि खसरा नम्बर 886, 893, 895 कुल कि 2 कुल रकबा 1.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 887, 891 किता 2 कुल

रकबा 0.50 हैक्टर व 890 रकबा 0.85 हैक्टर अवस्थित तन्
ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके
प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपनी
खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से
सीमाज्ञान दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर
के आदेश पर पटवारी हल्का फुटाला के द्वारा मौके पर
जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न
है। मौके पर वर्तमान समय में भूमिया खाली पड़ी है मौके
पर कोई फसल काश्त नहीं की हुई है तथा ना ही मौके पर
कोई सीमा विवाद नहीं है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का
मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.12.2018 के अनुसार
पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र
व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान
बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके
अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित
तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में
पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया
जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का फुटाला द्वारा
दिनांक 31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक
कृषि भूमि खसरा नम्बर 886, 893, 895 कुल किता 3
कुल रकबा 1.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 887, 891 कुल
किता 2 कुल रकबा 0.50 हैक्टर व 890 रकबा 0.85
हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर की
पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार
श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की
फीस भूअ.निरीक्षक फीस 900/- रुपये
एवं दो पटवारियान् की फीस 600/- रुपये प्रति पटवारी
की दर से 1200/- रुपये कुल 2100/- रुपये जरिये
चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की
प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का फुटाला द्वारा दिनांक

पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

जगदीश दाम वनाम श्रीमारी तहसीलदार
किस्म मुकदमा पत्थरगढ़ी नं. 34 सर 2/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज्ञ	नम अ हुक
	31.12.2018 को किए गए सीमाज्ञान के गुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सीव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मी कृष्ण शर्मा) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	